

श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर एट भोपाल म0प्र0।

निगरानी-4618/2018/भोपाल/2018

प्रकरण क्रमांक/निगरानी/2018

आयुक्त कार्यालय भोपाल
द्वारा भोपाल केन्द्र
में प्रस्तुत।

महाराजसिंह आत्मज श्री नाथूराम आयु 72 वर्ष
जाति मीणा व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम लालूखेड़ी
जमूसरखुर्द तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0आवेदक

23/11/18

विरुद्ध

श्री लखनसिंह आत्मज श्री भीकमसिंह आयु 40 वर्ष
जाति मीणा व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम लालूखेड़ी
जमूसरखुर्द तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0अनावेदक
निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता
श्रीमानजी,
आवेदक, राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ12/2017-
2018 लखनसिंह विरुद्ध सर्वसाधारण अंतर्गत धारा 129 भू0रा0
संहिता में संपन्न सीमांकन दिनांक 10/5/2018 से असंतुष्ट
व दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर यह निगरानी
प्रस्तुत है :-

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता
श्रीमानजी,



आवेदक, राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ12/2017-
2018 लखनसिंह विरुद्ध सर्वसाधारण अंतर्गत धारा 129 भू0रा0
संहिता में संपन्न सीमांकन दिनांक 10/5/2018 से असंतुष्ट
व दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर यह निगरानी
प्रस्तुत है :-

216

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4618/2018/भोपाल/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
30-10-18	<p>आवेदकपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक तहसील बैरसिया जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-5-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण में विधिवत् पंचनामा, प्रतिवेदन, सूचना पत्र व फील्डबुक आदि तैयार कर आवेदक व सरहदी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	